# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
## लो0नि0वि0, बहराईच

पत्रांक 314/3ए/2023 दिनांक 06/12/ 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराईच / गोण्डा / श्रावस्ती वन प्रभाग,
बहराईच / गोण्डा / श्रावस्ती।

**विषयः–** बहराईच–गोण्डा–फैजाबाद मार्ग (एस0एच0–30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग सुदृढ़ीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

**संदर्भः–कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1334 / 11–सी–FP/UP/Road/147236/2021 dt. 24.11.2023**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा बहराईच–गोण्डा–फैजाबाद (एस0एच0–30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा लगायी गयी अपात्तियों का निराकरण का आनलाइन पार्ट–02 में अपलोड करने की कृपा करें। आख्या निम्नवत हैः–

| क्र0सं0 | बिन्दु | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नही किया गया है। | संलग्न कर प्रेषित है। |
| 2 | भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22.11.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि0 30.09.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच के पत्र दि0 27.10.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि0 01.11.2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की सं0 गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि0 09.10.2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट–2 के अधार पर तीनों वन प्रभागों में बाधक वृक्षों को भिन्न–भिन्न बताया गया है। अतः तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड करें। | बहराइच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है। |
| 3 | भारत सरकार की आपत्ति सं0–07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र आनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नही किया गया है। | बहराइच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है। |
| 4 | भारत सरकार की आपत्ति सं0–08 के निरीकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नही किया गया है। | बहराइच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | भारत सरकार की आपत्ति–09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नही किया गया है। | भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज–01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा। |
| 6 | उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट–2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें। | बहराइच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है। |

**संलग्नकः**–उपरोक्तानुसार।

**अधिशासी अभियन्ता,**
**वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,**
**लो0नि0वि0, बहराईच।**

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
3. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. टीम लीडर एजिस इण्डिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्र0लि0, लखनऊ।
6. श्रीमती ज्योति कटियार, सहायक अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच।

**अधिशासी अभियन्ता,**
**वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,**
**लो0नि0वि0, बहराईच।**